



कार्यालय आदेश

एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 902/सत्तर-3-2020, दिनांक: 17 अप्रैल, 2020 के माध्यम से कोविड-19 के सम्बन्ध में सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल, 2020 से खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय के मात्र प्रशासनिक विभाग दिनांक: 20 अप्रैल, 2020 से कार्यालयीय दिवसों में खुले रहेंगे। कार्य दिवस में कार्यालयीय अवधि के दौरान समूह "क" तथा "ख" वर्ग के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं तथा प्रत्येक कार्य दिवस में समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारी यथावश्यक रोस्टर के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षात्मक उपायों के प्रोटोकाल को पूर्ण करते हुए बुलाये जायेंगे, जिससे कि कार्यालयीय कार्य में बाधा न उत्पन्न हो सके।

उपकुलसचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2 वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
- 3 सहायक अभियन्ता/सम्पत्ति अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय में साफ-सफाई व सेनिटाइनजेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 4 समस्त अधीक्षक/प्रभारी, प्रशासनिक भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5 प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 6 मीडिया प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 7 निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
- 8 पत्रावली।

उपकुलसचिव (प्रशासन)